सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल-बिजारा)

11/3/26

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल-बिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
05/25	03/01/25	11/03/26

// उनवान //

1. कुलदीप सिंह नारा पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी प्राणपुरा तह0 बावल जिला रेवाडी हरि0 नि0 डी0 लवीका पलेस प्लॉट संख्या 255–258 सैक्टर 21 नेरूल नवी मुम्बई महाराष्ट

:– वादी

बनाम

1. चितरू पुत्र मुरली जाति ब्राहमण निवासी नगली ओझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. रामजीलाल
3. हीरालाल
4. नरेश
5. पतराम पुत्रान हरलाल जातियान जाट निवासीयान नंगली ओझा तह0 मुण्डावर
6. बाबू पुत्र मूरलीधर जाति ब्राहमण निवासी नंगली औझा तह0 मुण्डावर तह0 मुण्डावर
7. मंजीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी नंगली औझा तह0 मुण्डावर
8. यूको बैंक शाखा खैरथल तह0 खैरथल जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. आई सी आई बैक शाखा खैरथल तह0 खैरथल जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।
11. उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह यादव

दिनांक :– 11/03/2026

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 437 रकबा 0.52 है0, व ख0न0 435 रकबा 0.94 है0, 833 रकबा 0.30 है0, वाके ग्राम नंगली औझा तह0 मुण्डावर में स्थित है। जिसके वादी काश्तकार खातेदार दर्ज है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि उक्त आराजी वादी को जरियें इन्तकाल स० 49 से जरियें वसीयत प्राप्त हुयी है,।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

3. यह है कि उपरोक्त विवादित आराजी ख0 न0 437 रकबा 0.52 है0, में से 1/10 भाग मिन वादी के पूर्वजों से प्राप्त हुयी है तथा ख0न0 435 रकबा 0.94 है0, 833 रकबा 0.30 है0, में वादी का 1/5 भाग रहा है तथा बहामी बंटवारा अनुसार वादी काबिज काश्त करता आ रहा है।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी सं0 1 ल0 7 के पूर्वज गैर वास्ता व गैर काबिज रहे है जिनका विवादित आराजी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नही है, ना ही कभी रहा, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में प्रतिवादी सं0 1 ल0 7 का नाम का अंकन शिकमी दर्ज किया हुआ है, जबकी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज विवादित आराजी पर कभी काबिज नहीं रहे है, ना ही काश्त की है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में शिकमी का अंकन प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम चला आ रहा है। जिसे मिन वादी हजफ कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश करना लाजिमी आया है।
5. यह है कि विवादित आराजी मिन वादी की पैत्रिक आराजी रही है, जो आराजी मिन वादी को जरियें विरास्त प्राप्त हुई है तथा मिन वादी के नाम का अंकन खातेदारी में दर्ज हो रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम का अंकन बतौर शिकमी दर्ज किया हुआ है, जबकी आराजी पर मिन वादी के पूर्वज अपने जीवनकाल में काबिज रहे है तथा उनके फौत होने के बाद से मिन वादी काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा वर्तमान में भी मिन वादी ने फसल काश्त कर रखी है।
6. यह है कि मिन वादी अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा मिन वादी ने आराजी का बहामी बंटवारा किया हुआ है तथा मिन वादी अपने हिस्से आयी आराजी पर काबिज काश्त खातेदार है, लेकिन अब दिनांक 7/11/2024 को मिन वादी को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई. जिस पर मिन वादी ने राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त कर, प्रतिवादीगण से राजस्व रिर्कोड दूरुस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे और अब दिनांक 10/12/2024 को प्रतिवादीगण ने राजस्व रिर्कोड दूरुस्त कराने से साफ मना कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी है कि हमारे पूर्वज का नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा अब हम तुम्हे आराजी से बेदखल कर, कब्जा कर लेंगे तथा काश्त नहीं करने देगे। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।
7. यह है कि आराजी मिन वादी की पैत्रिक आराजी है तथा मिन वादी के नाग राजस्व रिर्कोड में खातेदारी का अंकन हो रहा है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादी सं० 1 ल० 7 के नाम का अंकन शिकमी दर्ज किया हुआ है तथा उक्त गलत इन्द्राज के कायम रहने से मिन वादी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा मिन वादी अपनी खातेदारी की आराजी का समूचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहे है तथा प्रतिवादीगण ने शिकमी काश्तकार दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर, मिन वादी को आराजी से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी है. यदि वाकई प्रतिवादीगण अपने

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-बिजारा)

इन बेजा नापाक इरादों में कामयाब हो गये तथा विवादित आराजी से मिन वादी को बेदखल कर, कब्जा कर लिया तो मिन वादी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी, चूँकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बरिखलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जाकर, आराजी हाल हाल ख0न0 437 रकबा 0.52 है0, व ख0न0 435 रकबा 0.94 है0, 833 रकबा 0.30 है०, वाके ग्राम नंगली औझा तह० मुण्डावर के राजस्व रिर्कोड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 ल० 7 के नाम का अंकन शिकमी को हजफ किया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

(ब) यह है कि डिकी हु० ई० दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादपत्र के पैरा सं० 1 में वर्णीत आराजी को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही शिकमी के आधार पर कोई कार्यवाही करे, ना ही मिन वाद को आराजी से बेदखल कर, कब्जा करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे व राजस्व रिर्कोड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

(स) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादी को प्रतिवादीगण से दिाया जावे।(स) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

(स) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावें।

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9, 11 की विधिवत तलबी की कराई गई है तथा बावजूद विधिवत तलबी के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9, 11 अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 10 की तरफ से बार–बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः प्रतिवादी संख्या 10 का जवाब बन्द किया गया है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में गवाह शपथ–पत्र पीडब्लयू–1, कुलदीप सिंह नारा पीडब्लयू–2 गंगाराम पुत्र श्री जग्गलराम, साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2078 वाके ग्राम नंगलीऔझा पेश कि है शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी (वादी) की ओर से संक्षिप्त बहस

वादी की ओर से निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 437, 435 एवं 833, स्थित ग्राम नंगली औझा, तहसील मुण्डावर, वादी की पैत्रिक एवं खातेदारी भूमि है, जिस पर वादी पूर्वजों के समय से निरंतर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि वादी को वैध रूप से विरासत/वसीयत (इन्तकाल सं. 49) के माध्यम से प्राप्त हुई है तथा राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–बिजारा)

यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण या उनके पूर्वज कभी भी उक्त भूमि पर काबिज या काश्तकार नहीं रहे हैं। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश एवं कानून के विपरीत प्रतिवादीगण के नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज कर दिये गये, जो कि पूर्णतः गलत, अवैध एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी ने साक्ष्य स्वरूप स्वयं का शपथ–पत्र (PW–1), गवाह गंगाराम (PW–2) का शपथ–पत्र तथा जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि वादी ही वास्तविक काश्तकार एवं कब्जाधारी है। प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस दिये जाने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिससे वादी के कथनों का खंडन नहीं हो सका और वादी का पक्ष अप्रमाणित नहीं हुआ।

अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में डिक्री इश्तकरार हक मय दुरुस्ती पारित कर, प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज शिकमी इन्द्राज को राजस्व अभिलेखों से हटाया जावे एवं अभिलेख दुरुस्त किये जावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा (हु० ई० दवामी) द्वारा वादी की भूमि में हस्तक्षेप, बेदखली या किसी प्रकार का अवैध कार्य करने से रोका जावे।

वादी का वाद साक्ष्यों एवं अभिलेखों से पूर्णतः सिद्ध होता है, अतः न्यायहित में वादी के पक्ष में निर्णय पारित किया जाना उचित होगा।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ–पत्र बयान गवाह तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत जमाबन्दी की नकल एवं अन्य राजस्व रिकॉर्ड से यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि के संबंध में वादी के पिता का खातेदारी अधिकार स्थापित है। दूसरी ओर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे विवादित भूमि के शिकमी काश्तकार हैं अथवा उनका उक्त भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अनुसार खातेदार अपने अधिकार की घोषणा कराने तथा गलत इन्द्राज को हटाने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम बतौर शिकमी काश्तकार का इन्द्राज गलत है तथा इसे हटाया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी के पिता के हिस्से तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 0.52, 435 रकबा 0.94, 833 रकबा 0.30 हैक्टेयर वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज **प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम**

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–बिजारा)

बतौर शिकमी काश्तकार के अंकन को हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **11.03.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा) राज0

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
05 / 25	03 / 01 / 25	11 / 03 / 26

// उनवान //

1. कुलदीप सिंह नारा पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी प्राणपुरा तह0 बावल जिला रेवाडी हरि0 नि0 डी0 लवीका पलेस प्लॉट संख्या 255–258 सैक्टर 21 नेरूल नवी मुम्बई महाराष्ट

:– **वादी**

बनाम

1. चितरू पुत्र मुरली जाति ब्राहमण निवासी नगली ओझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. रामजीलाल
3. हीरालाल
4. नरेश
5. पतराम पुत्रान हरलाल जातियान जाट निवासीयान नंगली ओझा तह0 मुण्डावर
6. बाबू पुत्र मूरलीधर जाति ब्राहमण निवासी नंगली औझा तह0 मुण्डावर तह0 मुण्डावर
7. मंजीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी नंगली औझा तह0 मुण्डावर
8. यूको बैंक शाखा खैरथल तह0 खैरथल जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. आई सी आई बैक शाखा खैरथल तह0 खैरथल जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।
11. उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह यादव

–:पर्चा डिक्री:–

वादी के पिता के हिस्से तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 0.52, 435 रकबा 0.94, 833 रकबा 0.30 हैक्टेयर वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज **प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम बतौर शिकमी काश्तकार के अंकन को हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त किया जावे।**

यह निर्णय आज दिनांक **11.03.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा) राज0